षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.07.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स० . श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स० श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री सुनील कुमार, स०वि०स०	"पूरे राज्य में करीब 20 हजार पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है । करीब 12 जिलों में पाँचवे चरण के शिक्षक पदों के रिक्तियों की संख्या भी कम कर दी गयी तथा नियोजन वर्त्तमान समय तक स्थगित है । S.T.E.T. एवं T.E.T. पास अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र एवं उम्र सीमा की वैधता समाप्ति के कगार पर है जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय है । अतः S.T.E.T. एवं T.E.T. पास अभ्यर्थियों का विशेष परिस्थिति में उम्र सीमा के साथ ही प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री राजीव नन्दन, स०वि०स० श्री मनोज कुमार, स०वि०स० श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० श्री रमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स०	''मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत ''शौचालय निर्माण घर का सम्मान'' के तहत बनने वाले पूरे बिहार राज्य में शौचालय पूरे वार्ड / पंचायत के ओ०डी०एफ० होने के बाद राशि का भुगतान होता है जिसके कारण शौचालय निर्माण की गति अवरूद्ध हो रही है । अत: राज्य सरकार की योजना ''शौचालय निर्माण घर का सम्मान'' के अन्तर्गत वार्ड / पंचायत स्तर पर एक भी शौचालय का निर्माण होने पर उससे संबंधित राशि का भुगतान अविलम्ब कराने की व्यवस्था की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ताकि शौचालय निर्माण कार्य में गति आ सके ।"	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/18- 4101 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/18- 4101 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।